वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक : 07 .09.2022

बी.पी.एड. सत्र 2022–24 में प्रवेश
दक्षता परीक्षा एवं काउंसिलिंग हेतु दिशा निर्देश

बी.पी.एड (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम सत्र 2022–24 में प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं काउंसिलिंग दिनांक 15.09.2022 को विश्वविद्यालय परिसर के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी निम्नलिखित निर्देशानुसार अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों–

1. कोविड के दृष्टिगत जारी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
2. समस्त अभ्यर्थियों की अर्हता सम्बन्धी जांच के उपरान्त दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति होगी। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह बी.पी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनिवार्य अर्हता परीक्षा (स्नातक अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण हो चुके हों। अतः शैक्षिक अंकों/प्रमाण–पत्रों एवं पात्रता सम्बन्धी अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा स्थल पर उपस्थित हो।
3. जो अभ्यर्थी किसी कारणवशः अब तक उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन नही कर सके है, वे दिनांक 15.09.2022 को रू 1,000=00 नगद जमाकर ऑफ लाईन आवेदन (**प्रारूप "क"**) पूरित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। **प्रारूप "क"** पूरित करने के उपरान्त ऐसे अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवन्टित किया जायेगा।
4. दक्षता परीक्षा/काउंसिलिंग हेतु समस्त अभ्यर्थियों को **प्रारूप "क"** (शपथ–पत्र) को दो प्रतियों में पृथक–पृथक शैक्षिक अंक–पत्र/अन्य प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति, काउंसिलिंग शुल्क की रसीद की मूल प्रति एवं शारीरिक दक्षता/काउन्सिलिंग पत्र की प्रति तथा एवं पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटोग्राफ की 03 (तीन) प्रतियाँ, चस्पा/संलग्न कर उपस्थित होना है।
5. आन लाईन/आफ लाईन आवदेन करने वाले अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरन्त दिनांक 15.09.2022 को ही काउंसिलिंग सम्पन्न करायी जायेगी। काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रू. 500=00 (रूपये पांच सौ मात्र) जमा करना होगा।
6. अभ्यर्थी समस्त नगद जमा की शुल्क रसीद प्राप्त कर आवश्यकतानुसार संलग्न करें।।
7. काउंसिलिंग प्रक्रिया आफलाईन सम्पन्न होगी। काउंसिलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीट आवन्टित किया जायेगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसिलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नही होने एवं आवश्यक अभिलेखों (मूल एवं छाया प्रति) को प्रस्तुत नही करने पर अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा तथा पुनः प्रवेश हेतु अवसर प्रदान नही किया जायेगा।
9. महाविद्यालय आवन्टित होने के बाद प्रवेश के समय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा प्रमाण–पत्र आवन्टित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. काउंसिलिंग के उपरान्त आवन्टित महाविद्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा कर अभ्यर्थी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्रवेश हेतु पुनः अवसर प्रदान नही किया जायेगा।
11. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

14/09/22

सहायक कुलसचिव
प्रवेश सेल